

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज.)

दिनांक 12.03.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बैच न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी

मिसल नम्बर:-75/2022

किरम प्रार्थना-पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

सन्तरा पुत्री जयराम जाति गुर्जर निवासी राजोता तह. खेतड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू  
(राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामोल में जारी हुए
12.03.22	<p>आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1861 दिनांक 11.03.2022 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>—:आदेश:—</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम राजोता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 हाल खाता संख्या 64 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि ममता पुत्री जयराम, सोनी पुत्री जयराम के स्थान पर सन्तरा पुत्री जयराम, बिमला पुत्री जयराम दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 12.03.2022 को मजमें आम में सुनाया गया।</p>	

(हवी सिंह निर्वाण)  
सदस्य  
राजस्थान अदालत

(विवेक कश्यपिया)  
RTS  
सदस्य  
तहसीलदार खेतड़ी  
तहसीलदार  
खेतड़ी (झुंझुनू)

(रिंक कुमार)  
न्यायिक अधिकारी  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट खेतड़ी

